(राजस्थान—सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारां

पीठासीन अधिकारी बृजमोहन बैरवा (आर.ए.एस.)
इस्तगासा गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या :— 72 / 2015
इस्तगासा गुण्डा एक्ट रजिस्ट्रेशन सं0 :— 2015 / 00078

बउनवान

सरकार जर्ये थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली, बाराँ जर्ये जिला पुलिस अधीक्षक, बारॉ
(सायल)

बनाम

मोहम्मद जफर उर्फ मुजफ्फर पुत्र फजलु रहमान जाति मुसलमान निवासी बारह भाईयों की मस्जिद के पास, बाराँ जिला बाराँ
(गैरसायल)

इस्तगासा अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा—3

उपस्थिति :— 1— अभियोजन अधिकारी (सायल)
2— बावजूद सूचना के अनुपस्थित (गैरसायल)

निर्णय दिनांक 04.03.2022

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल मोहम्मद जफर उर्फ मुजफ्फर पुत्र फजलु रहमान जाति मुसलमान निवासी बारह भाईयों की मस्जिद के पास, बाराँ जिला बाराँ के विरूद्व जिला पुलिस अधीक्षक, बारॉ द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा—3 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि गैरसायल के खिलाफ थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली जिला बाराँ ने जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, बारां को रिपोर्ट की है कि पुलिस थाना कोतवाली जिला बारॉ क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है। यह व्यक्ति थाने का हार्डकोर अपराधी है तथा अवैध चौथ वसूली के कार्यों में भी लिप्त हैं। यह अवैध धारदार हथियार कब्जे में रखना, आम लोगों के साथ गंभीर मारपीट, हत्या एवं मादक पदार्थों की तस्करी के अपराध कारित करता है। इसके विरूद्व पुलिस थाना कोतवाली जिला बाराँ में वर्ष 2004 से वर्ष 2015 तक अन्तर्गत भादस(10), एनडीपीएस एक्ट(01) एवं आर्म्स एक्ट(01) के तहत कुल 12 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुये है। जिनमें अन्तर्गत भादस(03), एनडीपीएस एक्ट(01) एवं आर्म्स एक्ट(01) के तहत कुल 05 प्रकरणों में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है। शेष प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। इसके विरूद्व इंसदादी कार्यवाही धारा 110 जा0फो0 के तहत भी की जा चुकी है। फिर भी इसकी आपराधिक गतिविधियॉ जारी है तथा लगातार अपराध की ओर अग्रसर हो रहा है। इसकी आम शौहरत भी ठीक नहीं है। इसका आम जनता में भय व आतंक बना हुआ है। इसके विरूद्व कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट करने अथवा गवाही देने से डरता है। इसके [illegible] आपराधिक गतिविधियों के कृत्य से लोक व्यवस्था एवं शांति को खतरा उत्पन्न हो रहा है। [illegible] लोक व्यवस्था एवं लोकशान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रियाकलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त समाजकंटक के विरूद्व राजस्थान गुण्डा अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु इस्तगासे प्रेषित कर विधिवत कार्यवाही करते हुए इसको जिले की सीमा से निष्कासन किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.04.26 15:29:36 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकार गैरसायल द्वारा आपराधिक कार्य किये जिससे सार्वजनिक शांतिभंग होने से आम जनता पर भय का वातावरण उत्पन्न होता है। गैरसायल को कुल 05 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोष सिद्व भी ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है। यह गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसके विरूद्व अन्तर्गत राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा–3 के तहत कार्यवाही की जावे। इस्तगासे विरूद्व गैरसायल के पेश कर, उक्त आपराधिक कृत्य में मशगूल होने से गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाकर, उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत जिले से निष्कासित करने के आदेश चाहे गये।

इसके उपरांत गैरसायल के विरूद्व इस्तगासा दिनांक 03.11.2015 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओं को दर्शाते हुए गैरसायल को आहूत किया गया तथा गैरसायल को जर्ये सम्मन तलब किया गया। गैरसायल द्वारा मय अभिभाषक उपस्थिति दी गई। प्रकरण में अंतिम बार गैरसायल दिनांक 03.12.2021 को मय अभिभाषक उपस्थित रहा। प्रकरण में गैरसायल एवं उसके अभिभाषक अनुपस्थित रहने पर उनको न्यायालय के पत्रांक 234–235 दिनांक 15.02.2022 से जर्ये एस.एच.ओ. थाना कोतवाली उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया था कि आप आवश्यक रूप से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें अन्यथा प्रकरण में सरकार पक्ष को सुना जाकर अंतिम निर्णय पारित कर दिया जावेगा। जिसकी तामील गैरसायल स्वयं को करवाई गई है जिसकी प्रति पत्रावली में संलग्न है। गैरसायल इस न्यायालय में बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर प्रकरण में सरकार पक्ष अभियोजन अधिकारी, बाराँ की एकपक्षीय अंतिम बहस सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी का मुख्य कथन है कि चूंकि गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना कोतवाली जिला बाराँ में वर्ष 2004 से वर्ष 2015 तक अन्तर्गत भादस(10), एनडीपीएस एक्ट(01) एवं आर्म्स एक्ट(01) के तहत कुल 12 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुये है। जिनमें अन्तर्गत भादस(03), एनडीपीएस एक्ट(01) एवं आर्म्स एक्ट(01) के तहत कुल 05 प्रकरणों में गैरसायल न्यायालय से सजायाब हो चुका है। शेष प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। इसकी दिनों–दिन आपराधिक गतिविधियॉ बढती जा रही है जिससे समाज के व्यक्तियों व आम जनता में भय, आतंक सम्पति का खतरा निरन्तर बढता जा रहा है। इसकी आपराधिक गतिविधियों पर कोई अंकुश नही लग रहा है। इसके विरूद्व लोग रिपोर्ट करने में कतराते है एवं साक्ष्य देने से भी डरते है। इसकी आपराधिक गतिविधियॉ निरन्तर जारी है। इसकी आम शौहरत ठीक नहीं है। अपराधी का स्वतन्त्र रहना लोकशांती एवं जनहित में हितकर प्रतीत नहीं है। इस आपराधिक सजायाबी रिकार्ड के आधार पर गैरसायल के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत अपराध प्रमाणित है। उक्त केसो की पुष्टि सरकार पक्ष की ओर से प्रस्तुत अभिलेखों से होती है। यह व्यक्ति आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। अतः गैरसायल को जिला बदर किया जावे।

अभियोजन अधिकारी पक्ष सरकार की एकपक्षीय अंतिम बहस सुनी तथा इस्तगासे में प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया गया। पुलिस थाना कोतवाली जिला बाराँ में वर्ष 2004 से वर्ष 2015 तक अन्तर्गत भादस(10), एनडीपीएस एक्ट(01) एवं आर्म्स एक्ट(01) के तहत कुल 12 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुये है। जिनमें अन्तर्गत भादस(03), एनडीपीएस एक्ट(01) एवं आर्म्स एक्ट(01) के तहत कुल 05 प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब हो चुका है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.04.26 15:29:36 IST
Reason: SelfAttested

अतः उक्त समस्त तथ्यों के अनुसार यह प्रतीत होता है कि मोहम्मद जफर उर्फ मुजफ्फर पुत्र फजलु रहमान जाति मुसलमान निवासी बारह भाईयों की मस्जिद के पास, बाराँ द्वारा उक्त अपराध किए गए है। जिसके आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) की परिभाषा में आना पूर्णतया सिद्व है, क्योंकि धारा 2 (आ) के प्रावधान के अनुसार गैरसायल को कुल 05 प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब किया जा चुका है।

अतः गैरसायल मोहम्मद जफर उर्फ मुजफ्फर पुत्र फजलु रहमान जाति मुसलमान निवासी बारह भाईयों की मस्जिद के पास, बाराँ को सजायाबी रिकार्ड के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (आ) के तहत गुण्डा घोषित करता हूँ तथा राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 (3) (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत बारां जिले के पुलिस थाना क्षेत्र कोतवाली जिला बाराँ से 15 दिन के लिए गैरसायल को निष्कासित किये जाने का आदेश देता हूँ।

गैरसायल मोहम्मद जफर उर्फ मुजफ्फर पुत्र फजलु रहमान जाति मुसलमान निवासी बारह भाईयों की मस्जिद के पास, बाराँ को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत पुलिस थाना कोतवाली जिला बाराँ क्षेत्र से 15 दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। गैरसायल उक्त अवधि में अपनी उपस्थिति प्रत्येक दिवस थानाधिकारी पुलिस थाना, सीमलिया जिला कोटा को देगा। इस अवधि में अपराधी ऐसा कोई आचरण नहीं करेगा जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरूद्व हो अर्थात् इस अवधि में पूर्ण सच्चरित्र रहेगा। किसी आपराधिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा।

गैरसायल के विरूद्व यह आदेश दिनांक 19.03.2022 से प्रभावी होगा।

नियमानुसार तहरीरे जिला पुलिस अधीक्षक, बारां एवं थानाधिकारी पुलिस थाना सीमलिया जिला कोटा को दी जावें। थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली जिला बारॉ को तहरीर दी जावे, जिसमें यह लिखा जावें कि गैरसायल को उक्त आदेश की पालना में जिले के पुलिस थाना कोतवाली जिला बारॉ क्षेत्र से बाहर निष्कासित कर, थानाधिकारी पुलिस थाना सीमलिया जिला कोटा के सुपुर्द कर, पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक **04.03.2022** को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Brij Mohan Bairwa
Date: 2022.04.26 15:29:36 IST
Reason: SelfAttested